राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2011

संदीपनी भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स, अजमेर–305001 (राज.)

website : www.rtet2011.org www.rtet2011.com

E-mail: rtet2011@gmail.com, rtet2011@rediffmail.com फैक्स नं. (0145) 2630438, 2630439,

हैल्पलाईन : 08432259100, 08432265100, 08432256400, 08432253500, 08432254800, 08432256009, 08432270009, 08432268009

विज्ञप्ति सं. – 01 /11

राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (RTET-2011) के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान को स्थायी नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। पात्रता परीक्षा 22मई, 2011 को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी जिसकी आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदण्ड, ऑनलाईन आवेदन के चरण, शपथ पत्र का प्रारूप संग्रहण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है :–

कार्यक्रम

1. आवेदन पत्र का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं बैंक चालान जमा कराना	–	31.03.2011 से प्रारम्भ
2. आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र पर जमा कराना	–	31.03.2011 से 18.04.2011 तक
3. वेबसाईट से प्रवेश–पत्र डाऊनलोड करना	–	01.05.2011 से
4. परीक्षा तिथि	–	22.05.2011

I- आवेदन प्रक्रिया

1. **परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्ति** :– राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2011 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाईट www.rtet2011.org एवं www.rtet2011.com पर उपलब्ध है। इस वेबसाईट पर कुल 04 पृष्ठों का आवेदन पत्र उपलब्ध है, जो कि निम्न क्रम में होगा :–

   (अ) आवेदन पत्र (ब) चालान (स) घोषणा–पत्र (द) शपथ–पत्र का प्रारूप

   - ऑन लाइन आवेदन–पत्र भरने पर निम्न क्रमानुसार हार्ड कॉपी प्रिन्ट होगी :–

     (अ) चालान (ब) आवेदन–पत्र (स) घोषणा–पत्र (द) शपथ–पत्र का प्रारूप

   - **ऑन लाइन भरे हुए आवेदन पत्र** की हार्ड कॉपी निकाल कर निर्धारित शुल्क का चालान बैंक में जमा करावें तथा जमा चालान की एक प्रति, शपथ–पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित संबंधित संग्रहण केन्द्र पर जमा करानी होगी।

2. **परीक्षा शुल्क** :–
   - स्तर–I या स्तर–II (केवल एक परीक्षा) हेतु रूपये 400/–
   - स्तर–I एवं स्तर–II (दोनों परीक्षाओं) हेतु रूपये 600/–
   - परीक्षा शुल्क का भुगतान निर्धारित चालान के द्वारा **आई.सी.आई.सी.आई** बैंक, एवं पूर्व नाम **"दी बैंक ऑफ राजस्थान"** सहित में राजस्थान की किसी भी शाखा पर जमा करा सकते हैं। धौलपुर जिले के लिए अभ्यर्थी अपना बैंक चालान **"भरतपुर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, धौलपुर** की निर्धारित शाखा में जमा करावें, जिसकी सूची धौलपुर जिले की सूची के साथ कार्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

3. **आवेदन पत्र जमा कराना** :– आवेदन पत्र की समस्त ऑन लाइन प्रविष्टियों की सही पूर्ति करें। ऑन लाइन भरे हुए आवेदन पत्र की एक प्रति (चालान एवं आवश्यक प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि सहित) संग्रहण केन्द्र पर जमा करावें तथा फोटोस्टेट कॉपी पर संग्रहण केन्द्र से प्राप्ति रसीद के रूप में अपने पास ही रखें। सफलतापूर्वक आवेदन पत्र भरने एवं जमा कराने के पश्चात् आर.टी.ई.टी. कार्यालय द्वारा आवेदक को 1 मई 2011 से उसके द्वारा दिये गये मोबाइल नं. पर संदेश (SMS) द्वारा आवंटित रोल नं. व परीक्षा केन्द्र की सूचना दी जायेगी। अतः परीक्षार्थी अपना मोबाइल नं. आवश्यक रूप से देवें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18/04/2011 **सांय 5.00 बजे** तक है। आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्रों की सूची कार्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

4. <u>परीक्षा आयोजन</u> : परीक्षा **22 मई, 2011** को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर **स्तर–I** (कक्षा 1 से 5वीं तक) हेतु **पूर्वान्ह 11.00–12.30 बजे** तक एवं **स्तर–II** (कक्षा 6 से 8वीं तक) हेतु **अपरान्ह 2.00–3.30 बजे** तक आयोजित होगी।
   - **परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्ति** : कार्यालय की वेबसाईट (1) **www.rtet2011.org** (2) **www. rtet2011.com** से डाउनलोड करें।
   - **परीक्षा केन्द्र पर** परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घंटा पूर्व आवश्यक रूप से पहुंचकर स्थान ग्रहण करें।
   - **परीक्षा केन्द्र पर** परीक्षार्थी Question Booklet प्राप्त कर अवलोकन पश्चात् यह सुनिश्चित कर लेवें कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण है, कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं है तथा प्रश्नों का क्रमांक बढ़ते क्रम में है। क्षतिग्रस्त/त्रुटिपूर्ण Question Booklet तथा O.M.R.Sheet को परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट तक बदलवा लेवें इसके पश्चात् कोई बदलाव नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
   - परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व OMR Sheet की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति करें।
   - स्तर–I परीक्षा हेतु OMR Sheet **पाँच खण्डों** में विभक्त होगी। प्रत्येक खण्ड में **30 प्रश्न** होगें। द्वितीय एवं तृतीय खण्ड भाषा के वैकल्पिक खण्ड होगें। कुल 150 प्रश्न होगें, प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प A, B, C, D के रूप में होगें, जिनमें से एक सही उत्तर का चयन करना है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नही है। **परीक्षार्थी सम्बन्धित प्रश्न के सही उत्तर का चयन कर OMR Sheet में सही उत्तर वाले गोले को काले/नीले बाल पेन से सावधानी पूर्वक पूरा गहरा करें।** एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को गहरा करें। एक से अधिक गोले, अन्यत्र या पास में बनाये गये गोले को गहरा करने पर उत्तर गलत माना जावेगा। परीक्षार्थी भाषा के खण्ड को चयन करते समय ध्यान दें कि वे उसी भाषा के प्रश्न हल करें, जिस भाषा को उन्होनें आवेदन पत्र भरते समय अंकित किया है। आवेदन पत्र में भरे हुए भाषा विकल्प से अलग खण्ड को हल करने पर उस खण्ड के हल किये गये प्रश्नों को गलत माना जायेगा।
   - स्तर–II परीक्षा हेतु OMR Sheet चार खण्डों में विभक्त होगी। कुल 150 प्रश्न होगें, प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित है। प्रथम खण्ड में 30 प्रश्न होगें जो अनिवार्य रूप से करने हैं किन्तु द्वितीय व तृतीय खण्ड भाषा के वैकल्पिक खण्ड होगें जिसमें प्रत्येक में 30 प्रश्न होगें। किन्तु चतुर्थ खण्ड में (जो कि वैकल्पिक खण्ड है जिसमें खण्ड IV(अ) गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों के लिए तथा खण्ड IV(ब) सामाजिक अध्ययन शिक्षकों के लिए एवं अन्य विषय के शिक्षक के लिए परीक्षार्थी खण्ड IV(अ) या खण्ड IV(ब) में से किसी एक का चयन करें। और परीक्षार्थियों को इस खण्ड में 60 प्रश्न हल करने होगें। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प A, B, C, D के रूप में होगें, जिनमें से एक सही उत्तर का चयन करना है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। **परीक्षार्थी सम्बन्धित प्रश्न के सही उत्तर का चयन कर OMR Sheet में सही उत्तर वाले गोले को काले/नीले बाल पेन से सावधानी पूर्वक पूरा गहरा करें। एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को गहरा करें।** एक से अधिक गोले, अन्यत्र या पास में बनाये गये गोले को गहरा करने पर उत्तर गलत माना जावेगा। परीक्षार्थी भाषा के खण्ड को चयन करते समय ध्यान दें कि वे उसी भाषा के प्रश्न हल करें, जिस भाषा को उन्होनें आवेदन पत्र भरते समय अंकित किया है। आवेदन पत्र में भरे हुए भाषा विकल्प से अलग खण्ड को हल करने पर उस खण्ड के हल किये गये प्रश्नों को गलत माना जायेगा।
   - ऐसे परीक्षार्थी जिन्होनें **स्तर–I** व **स्तर–II** दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी।
   - OMR Sheet पर कहीं भी रफ कार्य तथा कोई चिन्ह अंकित नहीं करें।
   - किसी भी अभ्यर्थी को सम्बन्धित परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
   - परीक्षा समाप्ति के पश्चात् Question Booklet व OMR Sheet वीक्षक (Invigilator) को सुपुर्द करने के बाद ही कक्ष छोड़ें।
   - <u>**प्रश्नपत्र संबन्धी सूचना :**</u> समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुचयनात्मक होगें।
   - स्तर– I में 150 प्रश्नों का प्रश्नपत्र पाँच खण्डों – I, II, III, IV, V में विभाजित है, तथा सभी खण्ड हल करना अनिवार्य है। स्तर– II में प्रश्न–पत्र चार खण्डों में विभाजित है जिसमें I, II, III, अनिवार्य हैं। खण्ड IV(अ) गणित एवं विज्ञान विषय (गणित एवं विज्ञान शिक्षक हेतु) तथा खण्ड IV(ब) सामाजिक अध्ययन विषय (सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु)। अन्य विषय के शिक्षक के लिए परीक्षार्थी खण्ड IV(अ) या खण्ड IV(ब) में से किसी एक विषय का चयन करें।

- खण्ड II / III में भाषा का चयन करते समय ध्यान रहे कि खण्ड II/III में पृथक–पृथक भाषा होगी। खण्ड II में वही भाषा होगी, जो कि आवेदन पत्र में भरे गये Medium of Instruction की होगी, तथा खण्ड III में भाषा खण्ड II से अलग होगी।

II- पात्रता मापदण्ड

शैक्षणिक योग्यताएँ :

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उप भाग (1) के 23वें भाग के अन्तर्गत निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 मापदण्डानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में सम्मिलित होने हेतु योग्यताऐं एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गो के लिए निम्नानुसार होगें :––

1- न्यूनतम योग्यता – स्तर–प्रथम (कक्षा I-V)

(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)।

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)

या

ऐसे अभ्यर्थी जिनका उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हो चुका है अर्थात जो अभ्यर्थी इन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं।

स्तर–द्वितीय (कक्षा VI-VIII)

(क) बी.ए. / बी.एससी. और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)।

या

न्यूतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए. / बी.एससी. एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.)

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए. / बी.एससी. एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय–समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए. / बी.एससी.एड. या बी.ए.एड. / बी.एससी.एड.

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए. / बी.एससी. एवं एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

या

ऐसे अभ्यर्थी जिनका उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हो चुका है अर्थात जो अभ्यर्थी इन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं।

2. **अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम** – इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा मान्यता–प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता–प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।

3. विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण – वह व्यक्ति,

(क) जिसके पास न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ए. / बी.एससी. और बी.एड. योग्यता है, कक्षा I से V में नियुक्ति के लिए 1 जनवरी, 2012 तक पात्र होगा, बशर्ते कि वह नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता–प्राप्त 6–माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर ले।

(ख) जिसके पास डी.एड. (विशेष शिक्षा) या बी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6–माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. आर.टी.ई.टी. – 2011 उत्तीर्णांक :

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अर्जित करने अनिवार्य हैं। परन्तु, राज्य सरकार के निर्देशानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक में पात्रता के लिए छूट निम्नानुसार होगी :–

अ) 10 प्रतिशत छूट अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व / वि.पि.व. श्रेणी के पुरूष एवं सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों हेतु।

ब) 15 प्रतिशत छूट अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व / वि.पि.व. की महिला अभ्यर्थियों एवं विधवा / तलाकशुदा महिलाओं हेतु।

स) 20 प्रतिशत छूट सभी श्रेणी के निःशक्तजन अभ्यर्थियों हेतु (जो निःशक्तजन की परिभाषा के इस एक्ट के अन्तर्गत आते हैं) (under clause (t) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.)।

5. आर.टी.ई.टी. प्रमाण–पत्र की वैद्यता :

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थायी नोडल एजेन्सी प्रतिवर्ष आर.टी.ई.टी. परीक्षा का आयोजन करेगी। इसकी मान्यता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की तिथि से 7 वर्ष तक रहेगी। परीक्षार्थी उपरोक्त परीक्षा में अपने प्राप्तांक में सुधार हेतु पुनः परीक्षा दे सकता है।

III- कानूनी विवादों के संबंध में स्पष्टीकरण

1. सभी विवादों के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र केवल अजमेर होगा।
2. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 की अधिकारिता सिर्फ समन्वयक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011, संदीपनी भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स, अजमेर–305 001 (राज.) की है।

महत्वपूर्ण सूचना

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तद्नुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2011 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000 / –रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजाएँ हो सकती हैं तथा उपरोक्त स्थिति में परीक्षार्थी को भविष्य में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु सदैव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011
परीक्षा पाठ्यक्रम
स्तर प्रथम – (कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक)

अधिकतम अंक : 150
समय 1.30 घण्टा

खण्ड– I	बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ	30 बहुचयनात्मक प्रश्न	30 अंक
खण्ड– II	भाषा–I – अंग्रेजी / हिन्दी / गुजराती / पंजाबी / संस्कृत / सिन्धी / उर्दू *(भाषा–I का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो Medium of Instruction की भाषा है। जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है।)*	30 बहुचयनात्मक प्रश्न	30 अंक
खण्ड– III	भाषा–II – अंग्रेजी / हिन्दी / गुजराती / पंजाबी / संस्कृत / सिन्धी / उर्दू *(भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है। किन्तु यह भाषा – I से भिन्न होगी।)*	30 बहुचयनात्मक प्रश्न	30 अंक
खण्ड– IV	गणित	30 बहुचयनात्मक प्रश्न	30 अंक
खण्ड– V	पर्यावरण अध्ययन	30 बहुचयनात्मक प्रश्न	30 अंक

<u>प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति :</u>

1. "बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ" प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से सम्बन्धित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अर्न्तक्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जायेगें।
2. भाषा–I के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से सम्बन्धित निपुणता की जाँच हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे। जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है।
3. भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है, किन्तु यह भाषा–I से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा–II की सामान्य समझ, सम्प्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जायेगें।
4. "गणित" तथा "पर्यावरण अध्ययन" विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेगें।
5. बहुचयनात्मक प्रश्नों का मापदण्ड कक्षा I से V तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सैकण्डरी (कक्षा 10) तक का होगा।

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011
परीक्षा पाठ्यक्रम
स्तर द्वितीय – (कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक)

अधिकतम अंक : 150
समय 1.30 घण्टा

खण्ड– I	बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ	30 बहुचयनात्मक प्रश्न	30 अंक
खण्ड– II	भाषा–I – अंग्रेजी / हिन्दी / गुजराती / पंजाबी / संस्कृत / सिन्धी / उर्दू *(भाषा–I का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो Medium of Instruction की भाषा है। जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है।)*	30 बहुचयनात्मक प्रश्न	30 अंक
खण्ड– III	भाषा–II – अंग्रेजी / हिन्दी / गुजराती / पंजाबी / संस्कृत / सिन्धी / उर्दू *(भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है। किन्तु यह भाषा – I से भिन्न होगी।)*	30 बहुचयनात्मक प्रश्न	30 अंक
खण्ड– IV	(अ) गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु – खण्ड IV(अ) गणित एवं विज्ञान विषय या	60 बहुचयनात्मक प्रश्न	60 अंक
	(ब) सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु – खण्ड IV(ब) सामाजिक अध्ययन विषय या	60 बहुचयनात्मक प्रश्न	60 अंक
	(स) अन्य विषय के शिक्षक हेतु – **खण्ड IV(अ) अथवा खण्ड IV(ब) में से कोई एक चुन सकता है**	60 बहुचयनात्मक प्रश्न	60 अंक

<u>प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति :</u>

1. "बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ" प्रश्न पत्र में 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से सम्बन्धित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अर्न्तक्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जायेगें।
2. भाषा–I के प्रश्न पत्र में आवेदन पत्र भरते समय अंकित भाषा जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है, से सम्बन्धित निपुणता की जाँच हेतु प्रश्न पूछे जायेगें।
3. भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है, जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है। किन्तु यह भाषा–I से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा–II की सामान्य समझ, सम्प्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जायेगें।
4. "गणित एवं विज्ञान" तथा "सामाजिक अध्ययन" विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेगें।
5. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कक्षा 6 से 8 तक के "गणित एवं विज्ञान" विषय में समान अनुपात में (30 प्रश्न गणित विषय के एवं 30 प्रश्न विज्ञान विषय के) तथा "सामाजिक अध्ययन" के पाठ्यक्रमानुसार प्रश्न पूछे जायेगें।
6. बहुचयनात्मक प्रश्नों का मापदण्ड कक्षा VI से VIII तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सैकण्डरी (कक्षा 12) तक का होगा।

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा – 2011
<u>ऑनलाईन आवेदन करने के चरण</u>

1. आनलाईन आवेदन करने से पूर्व निम्न कार्य करें।
   - आवेदक अपनी पासपोर्ट साईज नवीनतम एवं रंगीन फोटो जे.पी.ई.जी (अधिकतम 100 के.बी) को स्कैन करें।
   - स्कैन की गई फोटो जे.पी.ई.जी (अधिकतम 100 के.बी.) को अपलोड करें।
   - आवेदक अपने हस्ताक्षर एवं हाथ के अंगूठे के निशान को (अधिकतम 100 के.बी) स्कैन कर अपलोड करें।
2. ऑनलाईन आवेदन करने से पहले परीक्षार्थी आर.टी.ई.टी. 2011 की अधिकृत वेबसाईट (**www.rtet2011.org, www.rtet2011.com**) पर दिशा–निर्देश उपलब्ध है, उसका अवलोकन अवश्य करलें।
3. आवेदक कार्यालय की वेबसाईट **www.rtet2011.org** एवं **www.rtet2011.com** पर 04 पृष्ठों के आवेदन पत्र को खोलकर **Application Form** की ऑनलाइन प्रविष्ठियाँ सही भरें।
4. परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्ति :– राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2011 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाईट **www.rtet2011.org** एवं **www.rtet2011.com** पर उपलब्ध है। इस वेबसाईट पर कुल 04 पृष्ठों का आवेदन पत्र उपलब्ध है, जो कि निम्न क्रम में होगा :–
   (अ) आवेदन पत्र (ब) चालान (स) घोषणा–पत्र (द) शपथ–पत्र का प्रारूप
   - ऑन लाइन आवेदन–पत्र भरने पर निम्न क्रमानुसार हार्ड कॉपी प्रिन्ट होगी :–
     (अ) चालान (ब) आवेदन–पत्र (स) घोषणा–पत्र (द) शपथ–पत्र का प्रारूप
   - ऑन लाइन भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निकाल कर निर्धारित शुल्क का चालान बैंक में जमा करावें तथा जमा चालान की एक प्रति एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि (शपथ–पत्र सहित) संबंधित संग्रहण केन्द्र पर जमा करानी होगी।
5. आर.टी.ई.टी.–2011 के आवेदन ऑनलाइन ही भरे जायेगें।
6. पूर्ण रूप से ऑनलाईन भरे हुए आवेदन पत्र एवं बैंक चालान डाउनलोड करें। इसकी एक फोटोप्रति अपने पास रखें।

7. आवेदक **ICICI** एवं पूर्व में नाम "दी बैंक ऑफ राजस्थान" सहित बैंक की राजस्थान में किसी भी शाखा में चालान के साथ परीक्षा शुल्क जमा करावें तथा बैंक से चालान की दो प्रतियाँ वापस लें, एक प्रति अपने पास रखें तथा दूसरी प्रति आवेदन पत्र की डाउनलोड की हुई प्रति के साथ संलग्न कर संग्रहण केन्द्र पर जमा करावें।
8. परीक्षा शुल्क केवल बैंक चालान द्वारा ही जमा किया जायेगा, ध्यान रखें कि मनीऑर्डर/डी.डी./नकद द्वारा भेजा गया शुल्क अमान्य होगा।
9. आवेदक आवेदन पत्र की डाउनलोड की हुई प्रति के साथ भरे हुए बैंक चालान की प्रति, शपथ–पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटोप्रति (राजपत्रित अधिकारी से) संलग्न करके संग्रहण केन्द्र में जमा करायें। आवेदन पत्र की दूसरी फोटोस्टेट कॉपी को निर्धारित संग्रहण केन्द्र से प्राप्ति रसीद के रूप में अपने पास रखें।
10. नियमानुसार आवेदन पत्र भरने एवं उसे जमा कराने के पश्चात् ही आर.टी.ई.टी. कार्यालय द्वारा आवेदक को 1 मई 2011 से उसके द्वारा दिय गये मोबाइल नं. पर संदेश (SMS) द्वारा आवंटित रोल नं. व परीक्षा केन्द्र की सूचना दी जायेगी। अतः परीक्षार्थी अपना मोबाइल नं. आवश्यक रूप से देवें।
11. संदेश (SMS) से प्राप्त रोल नं. एवं परीक्षा केन्द्र द्वारा प्रवेश पत्र को आर.टी.ई.टी. की वेबसाईट से डाउनलोड करें। यह सूचना आर.टी.ई.टी. की अधिकृत वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपने नाम व पिता के नाम या चालान नं. अथवा मोबाईल नं. के द्वारा भी अधिकृत वेबसाईट से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। परीक्षा के लिए कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जायेगा।
12. आवेदन पत्र की ***अन्तिम तिथि 18/04/2011 (सायं 5.00 बजे तक)*** है।

ध्यान रहे कि चालान एवं आवेदन पत्र का क्रमांक एक ही हो।

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....(नाम) घोषणा करता/करती हूं कि

1. मैंने आर.टी.ई.टी. परीक्षा 2011 से संबंधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ आर.टी.ई.टी. परीक्षा 2011 कार्यालय में प्रतिवेदन भेजूंगा/भेजूंगी और 60 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूंगा/करूंगी। किसी विधिक वाद की स्थिति में न्यायिक कार्य क्षेत्र केवल अजमेर स्थित न्यायालय का ही होना मुझे स्वीकार है।
   (ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर समन्वयक कार्यालय के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो समन्वयक को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
   (स) न्यायालय में दायर सभी विवादों के लिए न्यायिक अधिकार अजमेर शहर स्थित न्यायालय का ही होगा।
5. मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 के अनुसार परीक्षा की पात्रता रखता/रखती हूँ।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं है।
7. आवेदन पत्र मे कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
8. **मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाईट www.rtet.org एवं www.rtet.com से डाउनलोड करूंगा/करूंगी ।**
9. **मैं ऑनलाईन आवेदन पत्र की दूसरी प्रति पर संग्रहण केन्द्र की सील लगवाकर स्वयं के पास रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी।**
10. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
11. मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि इस परीक्षा में निर्धारित पात्रता प्राप्त होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
12. **मुझे यह जानकारी है कि मैं आर.टी.ई.टी. में पात्रता प्राप्त करने के बावजूद सम्बन्धित शिक्षक पाठ्यक्रम (बी.एस.टी.सी./बी.एड./समकक्ष पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण होने पर ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन हेतु पात्र माना जाऊँगा/ जाऊँगी।**
13. मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :.. **नाम :**
दिनांक :.. **पता :**
फोन नम्बर मय कोड :..
मोबाईल नम्बर :..

संलग्नकों की सूची :–

क्र.सं.	दस्तावेज/प्रमाण–पत्र का नाम	संलग्न सं.	संग्रहण केन्द्र के सत्यापन हेतु
1	बैंक चालान		
2	आवेदक द्वारा घोषणा		
3	शपथ–पत्र (निर्धारित प्रपत्र में सादे कागज पर)		
4	सैकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका		
5	सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका		
6	स्नातक / समकक्ष की अंकतालिका		
7	बीएसटीसी / बी.एड. / समकक्ष की अंकतालिका		
8	मूल निवास प्रमाण–पत्र		
9	जाति प्रमाण–पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 6 माह से अधिक पुराना ना हो)		
10	आय प्रमाण–पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 6 माह से अधिक पुराना ना हो)		
11	शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र		
12	विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ–पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र		
13	तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि		
14	वर्तमान में अध्ययनरत अभ्यर्थी के उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रमाण–पत्र (संस्था प्रधान द्वारा जारी)		
15	अन्य		
	कुल संलग्नकों की संख्या		

आवेदक के हस्ताक्षर

संग्रहण केन्द्र के उपयोग हेतु

1. बैंक चालान संख्या .... दिनांक...
   बैंक का नाम..
2. कुल दस्तावेजों की संख्या.........

संग्रहण केन्द्र का कोड **संग्रहण केन्द्र कर्मी के हस्ताक्षर मय सील**

शपथ–पत्र

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....उम्र.................. जाति...निवासी........... .... व्यवसाय..शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि –

- मैंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 का भली–भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं परीक्षा देने की न्यूनतम शैक्षिक एवं व्यवसायिक योग्यता की पात्रता रखता/रखती हूँ।
- मैं अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् एतद् द्वारा इस अधिसूचना की तिथि से निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 के खण्ड (ढ) में सन्दर्भित स्कूलों में अध्यापक के रूप में न्यूनतम योग्यताऐं रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा भरे आवेदन–पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या झूठा शपथ–पत्र दिया गया है तो परीक्षा उपरान्त मिलने वाला पात्रता प्रमाण–पत्र स्वतः ही रद्द समझा जावेगा तथा मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा/मानी जाऊँगी।
- मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिये किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
- किसी गलती या विवाद की स्थिति में, मैं अपना प्रतिवेदन समन्वयक आर.टी.ई.टी. 2011 को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। 60 दिन तक भी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने के बाद ही न्यायालय में न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी।
- किसी विधिक वाद की स्थिति में न्यायिक कार्यक्षेत्र अजमेर शहर स्थित न्यायालय का ही होना मुझे स्वीकार है।
- मेरे मूल दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जावेगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- मैं इस तथ्य से भली–भाँति अवगत हूँ कि इस परीक्षा में निर्धारित पात्रता प्राप्त होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :

सत्यापन

मैं .... सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ–पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम :

नोटः– मजिस्ट्रेट/नोटेरी/ओथ–कमीशनर/राजपत्रित अधिकारी
(किसी से भी सत्यापित करायें)

जिला संकेतांकों की सूची

जिले का नाम	कोड	जिले का नाम	कोड	जिले का नाम	कोड
अजमेर	101	दौसा	112	कोटा	123
अलवर	102	धौलपुर	113	नागौर	124
बांसवाड़ा	103	डूंगरपुर	114	पाली	125
बारां	104	हनुमानगढ़	115	प्रतापगढ़	126
बाड़मेर	105	जयपुर	116	राजसमंद	127
भरतपुर	106	जैसलमेर	117	सवाई माधोपुर	128
भीलवाड़ा	107	जालौर	118	सीकर	129
बीकानेर	108	झालावाड़	119	सिरोही	130
बूंदी	109	झुन्झुनूं	120	श्रीगंगानगर	131
चित्तौड़गढ़	110	जोधपुर	121	टोंक	132
चूरू	111	करौली	122	उदयपुर	133